सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– मुकेश बारैठ आर.ए.एस.

अनवान :– विविध प्रकारण संख्या 849/2018

1. पोकरराम पुत्र हितूराम जाति नायक निवासी चक 2 डी बडी तह0 व जिला श्रीगंगानगर।
2. नारायणराम पुत्र हितूराम जाति नायक निवासी चक 2 डी बडी तह0व जिला श्रीगंगानगर।

– – प्रार्थीगण

–:: बनाम ::–

1. दुल्ला सिंह पुत्र जैला सिंह राय सिख निवासी चक 2 डी बडी तह0 व जिला श्रीगंगानगर।
2. स्टेट राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व, श्रीगंगानगर
3. प्रदीप कुमार पुत्र श्री दयाराम जाति जाट निवासी 7 एच 8 जवाहर नगर श्रीगंगानगर

– – अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत :– अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1.	श्री ओमप्रकाश बतरा	– – प्रार्थीगण
2.	श्री सुधीर बिश्नोई	– – अप्रार्थी सं. 1
3.	श्री भारतभूषण नागपाल	– – अप्रार्थी सं.3
4.	पैरोकार राज	– – अप्रार्थी सं.2

–:: आदेश ::–

दिनांक :–09.12.2019

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं, कि प्रार्थीयान के नाम से चक 2 डी बडी तहरा श्रीगंगानगर के खाता सं0 93/65, मु0 न0 47 के किला न0 13 ता 25 व 49 के किला न0 16 ता 25 की कुल 5.819 हे0 में से 1/7 हिस्सा खाता

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

दर्ज है, जमाबंदी की नकल शामिल है तथा कब्जा काश्त में मुरब्बा नं. 47 का किला न0 13 ता 25 चला आ रहा है, जिसके लिए कोई रास्ता नहीं है। अप्रार्थी सं0 1 के नाम से चक 2 डी बडी के खाता सं0 29/27, मु0 न0 47 के किला न0 1 ता 12 की 2.911 हे0 दर्ज है, जमाबंदी की नकल शामिल है। अप्रार्थी सं0 1 के पिता ने प्रार्थीयान को रास्ता की आवश्यकता होने से जरिये इकरारनामा दिनांक 15.02.88 के मु0 न0 47 के किला न0 5,6 में से एक बिस्वा रास्ता आवश्यक राशि बतौर मुआवजा प्राप्त दिया गया, इकरारनामा की नकल शामिल है तथा यही रास्ता मौके पर आज तक चलता आ रहा है। अब अप्रार्थी के मन में बदनीति आ गई है तथा वह रास्ता को बंद करना चाहता है, अतः रास्ता स्वीकृत करवाना आवश्यक हो गया है। लिहाजा प्रार्थना–पत्र पेश करके अर्ज है कि प्रार्थीयान के रकबा के लिए अप्रार्थी के रकबा चक 2 डी बडी तह0 श्री गंगानगर के खाता सं0 29/27, मु0 न0 47 के किला 5,6 में एक–एक बिस्वा रास्ता । स्वीकृत करने का आदेश फरमाया जावें।

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। स्टेट की ओर से दिनांक 29.11.2018 को रिपोर्ट पेश हुई। वकील वादी द्वारा दिनांक 24.12.2018 को प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सी.पी.सी. प्रस्तुत किया गया जिसे स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या 3 को पक्षकार बनाया गया। अप्रार्थी संख्या 3 की ओर से दिनांक 04.07.2019 को पेश किया गया जिसके तथ्यानुसार प्रार्थीयान के नाम से चक 2 डी बड़ी तहसील व जिला श्रीगंगानगर में खातेदारी कृषि भूमि दर्ज है। यह तथ्य अस्वीकार है कि उक्त कृषि भूमि में जाने के लिए कोई रास्ता ना हो। अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से चक 2 डी बड़ी के खाता संख्या 29/27 के मुरब्बा 47 के किला नम्बर 1 ता 12 की 2.911 हैक्टयर कृषि भूमि दर्ज नही है प्रार्थीयान द्वारा गलत आधार पर न्यायालय में पुरानी जमाबन्दी लगाकर प्रार्थना पत्र पेश किया गया था। अप्रार्थी संख्या 1 के पिता व प्रार्थीयान के मध्य कोई भी इकरारनामा दिनांक 15.02.88 के मुरब्बा नम्बर 47 के किला नम्बर 5 व 6 में एक बिस्वा रास्ता हेतू निष्पादित नही किया गया था। फर्जी इकरारनामा की फोटो कोपी प्रार्थीयान द्वारा न्यायालय में पेश की गयी है जबकि इस तरह का इकरारनामा निष्पादित किया गया होता तो आज तक उक्त इकरारनामा के आधार पर पूर्व में ही रास्ता स्वीकृत करवा लिया गया होता।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

अप्रार्थी संख्या 3 द्वारा जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा कृषि भूमि खरीद की गयी है जिसकी अप्रार्थी व अन्य द्वारा किसी भी तरह का कोई भी ऐतराज नही किया गया और ना ही रजिस्टर्ड बैयनामा में रास्ता व इकरारनामा का उल्लेख किया गया है। प्रार्थन पत्र में प्रार्थीगण ने अप्रार्थी संख्या 1 को पार्टी बनाकर प्रार्थना पत्र पेश किया गया था जबकि उक्त कृषि भूमि वर्तमान में अप्रार्थी संख्या 3 के नाम से दर्ज कागजातराज है प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी संख्या 3 का कही भी उल्लेख नही किया गया है कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 5 कानूनी है जिसके जवाब की आवश्यकता नही अतिरिक्त कथन अप्रार्थी संख्या 3 के पास पूर्व में ही बहुत कम कृषि भूमि है और अप्रार्थी की कृषि भूमि से किला नम्बर 1 ता 5 में पूर्व में सरकारी खाला स्वीकृत है जिस कारण अब अप्रार्थी संख्या 3 के पास बहुत ही कम कृषि भूमि जोत हेतू बची है। इस कारण प्रार्थी की कृषि भूमि से किसी तरह का रास्ता स्वीकृति नही किया जावे। प्रार्थीगण द्वारा 15.02.88 के इकरारनामा के आधार पर रास्ता स्वीकृत करवाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया है। जबकि उक्त इकरारनामा की कोई भी असल प्रति पत्रावली पर पेश नही की गयी है। उक्त इकरारनामा अगर 1988 में निष्पादित करवाया गया होता तो प्रार्थीगण द्वारा पूर्व में रास्ता स्वीकृति करवा लिया होता। प्रार्थीगण अप्रार्थी सख्या 3 से रजिश के कारण उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया गया है व गलत तथ्य के आधार पर न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जिस कारण प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। लिहाजा जवाब प्रार्थना पत्र पेश करके निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) आरटी एक्ट का खारिज फरमाया जावे।

अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से दिनांक 13.09.2019 का जवाब पेश किया गया जिसके तथ्यानुसार प्रार्थी के रकबा 2 डी बडी तह. व जिलाश्रीगंगानगर के खाता संख्या 29/27 मु.नं. 47 के किला नं. 5, 6 में एक एक बिस्वा रास्ता स्वीकृत करने का आदेश फरमाया जावे।

बहस वकील उभ्यपक्ष सुनी गई। दोराने बहस वकील अप्रार्थी द्वारा इकरारनामा दिनांक 15.02.1988 को कूटरचित दस्तावेज होना बताया जो कि एक जांच का विषय है किन्तु प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि में जाने हेतु रास्ते की आवश्यकता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर द्वारा अपनी रिपोर्ट में अप्रार्थी के पास मौका पर रास्ता नहीं होना अंकित किया है। अतः

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

न्यायिक दृष्टि से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राज. काश्त.अधिनियम स्वीकार किया जाकर चक 2 डी बडी तह0 श्री गंगानगर के खाता सं0 29/27, मु0 न0 47 के किला 5, 6 में एक–एक बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया जाता है। रास्ते के मुआवजे के फलस्वरूप डी.एल.सी. का दुगना तहसील कार्यालय में जमा करवाने के उपरान्त उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में रास्ते का नियमानुसार अमल दरामद किया जावे। जमा राशि तहसीलदार जिसकी भूमि में से रास्ता स्वीकृत किया गया है उसको अपने स्तर से वितरित करेगा।

निर्णय की प्रति तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर को पालना हेतु भिजवाई जावे।

पत्रावली निर्णयशुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकलीम दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 09.12.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश बारैच)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ummed Singh Ratnu
Date: 2020.01.01 15:18:56 IST
Reason: SelfAttested
Location: